अतिमहत्वपूर्ण/ प्राथमिकता

संख्या-1-1093/77-1-2014-1(टी)/ 2011

प्रेषक,

संजीव सरन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 सहकारी कताई मिल संघ लि0,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 12 नवम्बर, 2014

विषयः- उ0प्र0 सहकारी कताई मिल संघ लि0, कानपुर की 09 मिलों को यूजर चार्जेज (User Charges) लेकर निजी क्षेत्र की भागीदारी से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मंत्रिपरिषद् की दिनांक 03.11.2014 को सम्पन्न हुई बैठक में कार्यावलि के मद संख्या- 23 के रूप में उ0प्र0 सहकारी कताई मिल संघ लि0, कानपुर की 09 मिलों का यूजर चार्जेज (User Charges) लेकर निजी क्षेत्र की भागीदारी से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

(i)- शासनादेश संख्या- 3053/77-1-2006-23(टी)/ 2001, दिनांक 17.08.2006, जो मिलों के परिसमापन के सम्बन्ध में है, को अपास्त किया जाए।

(ii)- कताई मिल संघ की मगहर, नगीना, बुलन्दशहर, बहादुरगंज, कम्पिल, अमरोहा, बहेड़ी, फतेहपुर व मऊआईमा मिलों को 10 वर्ष के लिये यूजर चार्जेज के आधार पर संचालित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(iii)- प्रबन्ध निदेशक सर्वप्रथम संभावित बिडर्स के साथ प्री-बिड कान्फ्रेन्स कर लें, ताकि सम्भावित पक्षों के बिन्दुओं को भी बिड डाक्यूमेन्ट में रखा जा सके। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को परामर्शी नियुक्त कर उनसे बिड डाक्यूमेन्ट तैयार कराये जायं। इस डाक्यूमेन्ट/ आलेख्य में मिलों को यूजर चार्जेज पर पुनर्संचालन से सम्बन्धित सभी प्रस्तावित शर्तों का समावेश किया जाय एवं सभी विधिक आयामों का भी ध्यान रखा जाय।

(iv)- सभी मिलों का पुनः भौतिक निरीक्षण (Critically Examine) कर उनमें मिल संचालन के लिए आवश्यक भूमि के अतिरिक्त उपलब्ध अधिकतम सरप्लस भूमि का चिन्हीकरण किया जाय। यह कार्यवाही शीघ्रता से कराई जाय ताकि भूमि विक्रय से अधिकतम धनराशि प्राप्त हो सके।

(v)- बैंक ऋणों की अदायगी के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक द्वारा सभी सम्बन्धित बैंकों से नेगोसियेट कर वन टाइम सेटेलमेन्ट कराने का प्रयास किया जाय। इस हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सभी सम्बन्धित बैंकों के साथ एक बैठक कर ली जाय।

(vi)- शासकीय ऋण की धनराशि को अंशपूंजी में परिवर्तित किया जाए।

http://shasanadesh.nic.in

(vii)- पुनर्संचालन हेतु मिल यूजर के ऊपर लागू होने वाली शर्तों के सम्बन्ध में विचारोपरान्त 10 वर्ष की अवधि लीज पीरियड के रूप में रखी जाय, उसके पश्चात् पुनः बिड कराई जायेगी। बिडर्स से हैसियत प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाय।

(viii)- व्यापार कर विभाग की कुल बकाया धनराशि रु0 36.07 करोड़ पर देय ब्याज रु0 22.64 करोड़ तथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन का बकाया मूल धनराशि रु0 27.71 करोड़ पर देय ब्याज रु0 44.79 करोड़ अथवा जो भी अध्यावधिक हो, को माफ कराते हुए मूल धनराशि के भुगतान को 10 वर्ष हेतु आस्थगित (डेफरमेन्ट) किये जाने के सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव गण के साथ बैठक कर उक्त देयों का निराकरण कराया जाय।

(ix)- अन्य देनदारियों के भुगतान के बारे में विचार करने हेतु प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाय।

कृपया मंत्रिपरिषद् के उक्त निर्णय के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः- 1093(1)/77-1-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग/ प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/ प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग/ प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग/ प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन/ प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग/ प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग/ प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य वित्त विकास निगम, कानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 को-आपरेटिव फेडरेशन लि0, स्टेशन रोड़, लखनऊ।
5. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा), गौतमबुद्ध नगर।
6. मुख्य महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, लखनऊ।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी/ परिसमापक।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवी प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.nic.in